# कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारीः– मनसुख राम डामोर , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 27 / 2019 वाद

दायर दिनांक :– 15 / 03 / 2019

निर्णय दिनांक :– 18 / 02 / 2021

**अनवान**

1. मोहनलाल पिता चैनराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
2. डालचन्द पिता चैनराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
3. रतनलाल पिता चैनराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
4. शांति विधवा मदनलाल जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
5. जमनालाल पिता परशराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
6. देवीलाल पिता परशराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा

वादीगण

**बनाम**

1. राजमल तथाकथित मुतबन्ना नंदराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी धनेरिया तह0 रेलमगरा
2. रामलाल पिता मदनलाल जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी धनेरिया तह0 रेलमगरा
3. शांति बाई पत्नि मदनलाल जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी धनेरिया तह0 रेलमगरा
4. सीता पिता मदनलाल पति कैलाश जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी धनेरिया तह0 रेलमगरा
5. मेघराज पिता परशराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी धनेरिया तह0 रेलमगरा
6. नेमीचन्द पिता परशराम जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
7. ममता पिता परशराम पत्नि जमनालाल जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
8. मिठालाल पिता मदनलाल जाति सुथार(जांगिड ब्राहम्ण) निवासी खटुकड़ा तह0 रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

**अन्तर्गत धारा 53, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

: : निर्णय : :

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188, 88 रा0का0अ0 का प्रस्तुत किया कि ग्राम धनेरिया तहसील रेलमगरा में आराजी संख्या 1603, 1605, 1606, 1607 कुल किता–04 कुल रकबा 06–02 बीघा एंव आराजी संख्या 1604 कुल किता 01 रकबा 00–07 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमियां स्थित हैं। वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियों में आराजी संख्या 1603, 1606, 1607 स्व. कालु पिता घीसा जाति जांगीड ब्राहम्ण निवासी धनेरिया के खातेदारी व आधिपत्य की थी। आ.चा. सं. 1604 में कालु पिता घीसा जाति जांगिड ब्राहम्ण का 1/4 हिस्सा था। कालु पिता घीसा जांगिड ब्राहम्ण की मृत्यु वर्ष 1971 में हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् पुत्र नंदराम पिता कालु जांगिड ब्राहम्ण के अकेले के नाम पर नामान्तरण सं. 65 दिनांक 29/12/1974 को निर्णित हुआ। प्रमाण में प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण की प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण में वारिसान की जांच के बारे में आईएलआर द्वारा किसी प्रकार की समस्त वारिसान की जांच करना अंकित नहीं किया गया है एवं अकेले पुत्र संतान नंदराम के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया है। कालु की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात् हुई थी जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनुचित प्रथम के वारिसान के रूप में कालु जी के दोनो पुत्र पुत्री अर्थात् पुत्र नंदराम व पुत्री आसी बाई का सम्मान हिस्से के रूप में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अकेले पुत्र नंदराम के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं ग्राम पंचायत के द्वारा भी वारिसान की बिना जांच किये अकेले नंदराम के नाम पर निर्णित कर दिया गया। नंदराम ने अपने जीवनकाल में एक वसियत पत्र प्रतिवादी सं. 01 राजमल के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसके आधार पर नंदराम के बजाय राजमल के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित होकर वर्तमान में वादपत्र के कलम सं. 01 व 02 में वर्णित भूमियां प्रतिवादी सं. 01 के नाम पर सम्पूर्ण भूमि त्रुटिपूर्ण रूप से अंकन चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा आसी बाई का था एवं 1/2 हिस्सा नंदराम जी का था। नंदराम जी के नाम पर भी राजस्व अभिलेख में भूमियां त्रुटिपूर्ण रूप से अंकन होने के कारण नंदराम ने वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी सं. 01 के पक्ष में गोद एवं वसीयत पत्र के आधार पर हस्तान्तरित कर दी गई। जबकि वादग्रस्त भूमियों में नंदराम को 1/2 हिस्सा ही प्राप्त हुआ था जिससे वे अपने हिस्से से अधिक भूमियों का किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं कर सकते थे। न ही

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नंदराम को सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी सं. 01 के नाम पर सम्पूर्ण भूमि का अंकन वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। जिससे प्रतिवादी सं. 01 को राजस्व अभिलेख में त्रुटिपुर्ण अंकन होने से वादग्रस्त भूमियों का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से प्राप्त नहीं हुआ है एवं न ही हो सकता है। कालुराम की पुत्री आसी बाई की मृत्यु दिनांक 28/07/2017 को हो चुकी है। जिनकी मृत्यु ग्राम खटुकड़ा में हुई थी। जिससे आसी बाई के 1/2 हिस्से की भूमियां आसी बाई के पूर्व मृत पुत्र एवं जिवित पुत्रों में समान रूप से हिस्सा हस्तान्तरित हो गया है। मदनलाल के वारिसान में शांतिबाई, मिठालाल वादीगण के रूप में सम्मिलित किये गये किन्तु रामलाल, सीता एवं शांतिबाई नातायत पत्नि वादीगण के रूप में सम्मिलित नहीं होने के कारण उन्हें आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिवादीगण बनाया गया है। आसी बाई के सभी वारिसान जिसका वर्णन वंशवृक्ष में निवेदन किया गया है कि उसमें आसी बाई के प्रत्येक पुत्र को वादग्रस्त भूमियों में 1/10 वां हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं 5/10 वां हिस्सा नंदराम को प्राप्त हुआ था एवं नंदराम की मृत्यु के पश्चात् 5/10 वां हिस्सा राजमल को प्राप्त हुआ है। राजस्व अभिलेख में त्रृटिपूर्ण अंकन होने के कारण प्रतिवादी सं. 1, 2 3, 4 की मदद से वादग्रस्त भूमियों को हस्तान्तरण करने पर उद्वत है। प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा ऐलानियां रूप से कहां जा रहा है कि वादग्रस्त भूमियां राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है जिससे वादग्रस्त भूमियों के हस्तान्तरण के बारे में उसे सम्पूर्ण हक अधिकार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 01 को वादग्रस्त भूमियों को हस्तान्तरण न करने एवं वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा आसी बाई के सभी पुत्रों एवं मृत पुत्रो के वारिसान में हिस्से अनुसार खातेदारी हक से दर्ज करने के लिये कहां गया किन्तु प्रतिवादी सं. 01 ने राजस्व अभिलेख में उपरोक्त शुद्व अंकन करने से दिनांक 01/01/2019 को बमुकाम धनेरिया में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमियां कृषि भूमियां है जिससे कृषि भूमियों के संबंध में क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होकर न्यायालय आपको है। क्योंकि वादग्रस्त भूमियां ग्राम धनेरिया तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित है। जिससे वादपत्र न्यायालय आपको प्राप्त है। वादग्रस्त भूमियों में वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ ही विभाजन का भी अनुतोष चाह गया है जिससे विभाजन के वाद में भूमिधारक आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा भूमिधारक के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाह जा रहा है। भूमियों के विकास के लिये विभाजन अत्यन्त आवश्यक है बिना विभाजन के भूमियों का रखाव सम्भव नहीं है। वादीगण ने दिनांक 01/01/2019 को प्रतिवादी सं.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

01 को वादग्रस्त भूमियां आसी बाई के समस्त वारिसान् के नाम पर 1/2 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज कराने एवं विभाजन करने के लिए कहा गया तो प्रतिवादी सं. 01 ने खातेदारी हक से दर्ज कराने एवं विभाजन करने से इन्कार कर दिया गया। जिससे वादग्रस्त भूमियों का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीगण को अपने हिस्से अनुसार स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें। प्रतिवादीगण मिठालाल, मेघराम, नेमीचन्द व ममता ये भी वादग्रसत भूमियों में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते है लेकिन वादपत्र प्रस्तुत करते समय व बाहर होने से उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें परफोर्मा प्रतिवादीगण बनाया गया है। उनके विरूद्व वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन होने के पश्चात् वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4 वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे इस बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावें। अतः प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियों में आ.सं. 1603, 1606, 1607 में आसी बाई के सभी वारिसान का 1/2 हिस्सा खातेदारी हक की घोषणा फरमाई जावें। आ.सं. 1603, 1606, 1607 का विभाजन कराया जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं राजस्व अभिलेख स्वतंत्र अंकन कराया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावें कि वादीगण का स्वतंत्र आधिपत्य में प्राप्त होने वाली भूमियों में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे अतिक्रमण नहीं करे। वादपत्र कलम सं. 02 में वर्णित आ.चा. में आसी बाई के सभी वारिसान का 1/4 हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 09 के विरूद्व कोई सहायता नही चाही गयी है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 मोहनलालके शपथ एवं दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तकरण संख्या 65 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 01, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 02 एवं 03, जमाबन्दी सैटलमेन्ट विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 04 एवं वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 05 की प्रतियां प्रस्तुत की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजियात नंदलाल पिता कालू सुथार की पैतृक सम्पत्ति होकर विरासत से उनके नाम दर्ज हुई इसके पश्चात् नंदराम द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में गोदनामा निष्पादित किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई है। जहॉ तक यह प्रश्न है कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण की माता आसीबाई जो पूर्व ,खातेदार नंदलाल सुथार की सगी बहन होकर उसकी पैतृक सम्पत्ति थी तो इसके लिए अपनी पैतृक सम्पत्ति वादग्रस्त भूमियों पर घोषणा के जरिये हक अधिकार दर्ज कराये जाने हेतु आसीबाई सक्षम उत्तराधिकारी थी किन्तु वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नही होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादीगण घोषणा कराये जाने के अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 02 एवं 03 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का विक्रय होने से क्रेतापक्ष भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है किन्तु वादीगण द्वारा क्रेतापक्ष को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है जिससे भी वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नही होने तथा वादग्रस्त भूमियों का विक्रय होने से क्रेतापक्ष भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हो वादीगण द्वारा क्रेतापक्ष को प्रकरण में पक्षकार नही बनाये जाने से वादीगण का वाद बाबत् धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

( मनसुख राम डामोर )
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा